

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (बनबंद)

जमावदी रसद अभिलेख वाद सं० 186 / 2016-17

वाद का प्रकार -- बिहार (अंतराष्ट्र) भूमि सुधार अधि 1952 को लागू 1953 के तहत जमा रसद कारवाई से संबंधित।

19/3/16

अंतराष्ट्र सरकार के ज्ञापक 2374/सं. दिनांक 13.05.2010 सम्बंधित श्री जगज्ज मुखर्जी निदेशक, सू-अर्जन-सा-दिशा सचिव, रातन एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र सं० 3-आ/म/निति-119/85/2308/सं० दिनांक 23.09.1985 का सहित बिहार राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/सं० दिनांक 09.12.1998 में विहित विधि के अनुपालन में गंतव्यरूपा जमा भूमि को कायम की नयी जमावदी को अंतिम प्रमाण को मंजू ताकत प्रदान में इच्छा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रत्यावेदन किया गया है कि विभागीय विवरणी की मूले -

मौजा हारवा बंदा नं० 42 प्लॉट नं० 441 का क्षेत्रफल 138 एकड़ 0.50 एकड़ भूमि जो गंतव्यरूप प्राप्त जमावद विवर (अंतराष्ट्र) सरकार के हस्त को स्थगनी भूमि है, जिसकी जमावदी उक्त मौजा के मूले 11 फ जमावदी रसद रिक्त महला का कारवा के नाम से कायम है।

ऑफिस कॉपी है पत्रा
- 19/03/16 मपु 138
26/03/16

इच्छा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जोरदारता उपयुक्त विवरणी की मूले को त्रुटि कायम जमावदी को संबंधित प्रत्यावेदन किया गया है।

इच्छा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समीक्षा का परिणाम का प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावदी विवर सक्षम प्रदाधिकारी के आधार पर/अंतिम विवरणी के आधार पर/अवेद काडकर वन्दोवस्ती के आधार पर/अंतिम जमाव विवरणी के आधार पर/साथ ही जमावदी के आधार पर कायम को मंजू है जिसका उद्देश्य सिद्धि प्राप्त एवं रातन को शक्ति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमावदी की जमावदी की मूले जमावदी अवेद प्रतीत होती है जिसका विवर (अंतराष्ट्र) भूमि सुधार अधि 1952 को लागू 1953 के तहत जमा रसद कारवाई से संबंधित।

अतएव संबंधित जमावदी रसद का नोटिस विहित रूप सम्बंधित सू-अर्जन से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद को मंच करे तथा जमावदी कल्याण पृष्ठ करे, कि जमावदी जमावदी को अवेद मांगते हुए बिहार (अंतराष्ट्र) भूमि सुधार अधि 1952 को लागू 1953 के तहत सक्षम प्रदाधिकारी को रसद करवा हेतु अनुमति किया गया।

अभिलेख दिनांक को सम्बन्धित है।

लखायित एवं सशोधित

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।


19/3/16
अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

11/8/16

अमितेव उपस्वापित् विना गता । जगत्स्य
 रूपाय के वंशज आ - पालन के उपस्वापित्
 होकर उपरोक्त भूमि के संबंधित सुकुमनामा
 व-पोस्ती के सं 8 (11) / 70-71 नक, एक
 लगान 2 बीघा वर्ष 1986 का सन्निधि विना
 गता है । परन्तु लगान 2 बीघा अधिन
 वर्ष है ।

आतः अग्रिम कार्रवाई हेतु

अमितेव भूमि सुधार उप समिति के सदस्य
 को भेजे ।


 मंजुषा अग्रिमारी
 लखनपुर

बाद प्रविष्टि संख्या 186

साल 2015-16

बनाम
रिजु महारा, धाठ जिला

जिला 42

कार्य क्र- 138 संख्या 0.50 रु. के संबंध में

प्रमाण पत्र उक्त संधि दिनांक 11/8/16 को

संदर्भ देते हैं कि...

श्रीमान
 20/7/16

प्राप्त
 20/7/16

नवीन वणिमानी
 20/7/16